

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक:- एफ.2(6626)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/15/05313/2019 जयपुर, दिनांक 22.11.2019

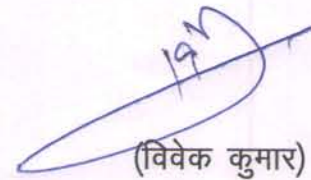
अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री दीपक गुप्ता, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है :-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम
1.	SSC CGL-2019
2.	RSMSSB द्वारा आयोजित Clerk Grade- ii / Junior Assitant Exam-2018 (Document Verification)

श्री दीपक गुप्ता, सूचना सहायक को उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

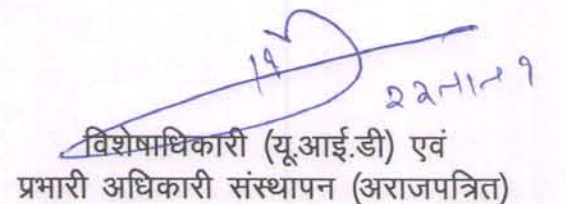

(विवेक कुमार)

RAS

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सहायक शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री दीपक गुप्ता, सूचना सहायक, कार्यालय वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।


विशेषाधिकारी (यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक एफ2(6579)सूप्रौ/संस्था/15/05288/2019

जयपुर, दिनांक : 22.11.2019

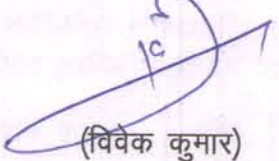
अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायको को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. स.	मेरिट न.	सूचना सहायक का नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	2471	श्री भोजराज यादव, सूचना सहायक	कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, हनुमानगढ़।	1. RSMSSB द्वारा आयोजित Junior Instructor Exam 2018
2	3443	श्री भरत सिंह गुर्जर, सूचना सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, दौसा।	1. RPSC द्वारा आयोजित उपाचार्य/अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संवीक्षा परीक्षा 2018
3	W-38	श्री गौरव कुमार, सूचना सहायक	कार्यालय आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार बीकानेर हाउस पण्डारा रोड, नई दिल्ली	1. Rajasthan State Cooperative Bank द्वारा आयोजित Computer Programmer
4	4027	सुश्री जजबीन अख्तर, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन)	कार्यालय उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वृत्त, कोटा।	1. RPSC द्वारा आयोजित Fish Development Officer, Assistant Fish Development Officer Exam
5	2018 Batch	श्री भूपेन्द्र सिंह सांखला, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन)	कार्यालय तहसीलदार सोजत, पाली।	1. RPSC Group Inspector, ITI, RRB NTPC CEN 01/2019, AIIMS Jodhpur - Recruitment to the various Group- B, C Posts in the Institute on Direct Recruitment Basis (Advertisement No. Admn/ Estt/04/2018- AIIMS, Jodhpur)
6	2018 Batch	श्री दीपांशु गहलोत, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन)	कार्यालय उप पंजीयक (प्रथम), पाली।	1. IBPS द्वारा आयोजित FCI MANAGER (DEPOT) EXAM
7	2018 Batch	श्री दिलखुश मीना, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन)	कार्यालय कोषाधिकारी, जाजोर।	1. SSC द्वारा आयोजित SSC CGL 2018 2. DSSSB द्वारा आयोजित DSSSB DASS GRADE-II 81/17 3. RRB द्वारा आयोजित RRB NTPC 2019, CEN 01/2019 4. IBPS द्वारा आयोजित FCI MANAGER (DEPOT), Advt No. 02/2019-FCI Category-II 5. SSC द्वारा आयोजित SSC CGL 2019 6. IBPS द्वारा आयोजित FCI AG-III(Depot), Advt No. 01/2019 FCI Category-III
8	2018 Batch	सुश्री जिज्ञासा सोनी, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन)	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, ई.एस.आई.योजना, जयपुर।	1. Rajasthan State Cooperative Bank (Apex Bank) and various District Cooperative Banks 2019, Manager Exam

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

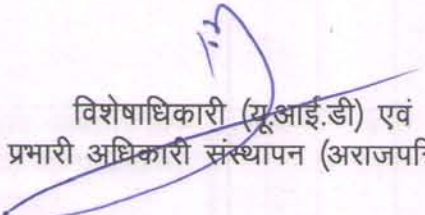

(विवेक कुमार)

RAS

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
2. संबधित कर्मचारी.....।
3. संबधित निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।


विशेषाधिकारी (यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)